न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 112/2018

1 सुल्तान उम्र 65 साल पुत्र नन्दाराम
2 नागरमल उम्र 49 साल पुत्र नन्दाराम
3 भागीरथमल उम्र 40 साल पुत्र नन्दाराम
समस्त जातियान माली निवासी उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 अध्यक्ष, नगरपालिका उदयपुरवाटी।
2 अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका उदयपुरवाटी।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.11.2018 द्वारा उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी उनवानी सुल्तान आदि बनाम अध्यक्ष नगरपालिका आदि आवेदन पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 220/2018

उपस्थिति :

1. श्री रविराज, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 3.1.25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 220/2018 में पारित निर्णय दिनांक 02.11.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.08.2018 को एक दावा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिसके साथ एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया। अपीलान्ट ने जो दावा प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट 1 व 2 के विरूद्ध पेश किया उसमें तहसील उदयपुरवाटी के कस्बा उदयपुरवाटी में हाल खसरा नम्बर 307, 308 जिसके पुराना खाता नम्बर 321, 322 जिसमें वर्णित खसरा नम्बर 2275 ता. 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2276 ता. 1.70 हैक्टेयर बारानी उक्त कृषि भूमि में अपीलान्टस का 1/2 हिस्सा है तथा 1/2 हिस्से में अन्य सहखातेदारान का हिस्सा है। उक्त कृषि भूमि पर अपीलान्टस व अन्य सहखातेदारान का कब्जा है जिसका राजस्व रिकार्ड साथ संलग्न है। रेस्पोडेन्टस अपीलान्टस से व्यक्तिगत द्वेषता रखने के कारण अपीलान्टस की कब्जे काश्त की भूमि में जबरन दीवार तोड़कर छड़िया खड़े हरे पेड़ो को काटने की अनुमति लिये बिना ही अपने प्रभाव का दुरूपयोग कर दिनांक 06.08.2018 को अपीलान्टस के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी चालू कर दी। जिस पर अपीलान्टस ने विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र पेश किया। उक्त आवेदन पत्र को विचारण न्यायालय ने विधि प्रावधानों के विपरित जाकर आवेदन पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि कस्बा उदयपुरवाटी के खसरा नम्बर 2275, 2276 की काश्त की भूमि सदैव से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर(कैम्प झुन्झुनू

ही अपीलान्टस के पूर्वजों के काश्त में चली आयी है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर खसरा नम्बर 2275 पर सिंचाई हेतू कूंआ बना रखा था और उक्त कुएं पर विद्युत संबंध भी स्थापित है। इस कुएं की सहायता से खसरा नम्बर 2276 की काश्त की भूमि के 1.70 हैक्टेयर भूमि सिंचाई की जाती रही है और अपीलान्टस उक्त भूमि की उपज का लाभ लेते आये है लेकिन विचारण न्यायालय ने पत्रावली का उक्त कथनों व दस्तावेजो क ओर गोर न करते हुए निर्णय पारित करने में कानूनी भुल की है। रेस्पोडेन्टस के द्वारा उक्त प्रकरण में जवाबदेही में इस कथन से इन्कार किया गया है कि मौके पर दीवार तोड़ी गयी है और साथ ही एक नया तथ्य प्रकट किया गया है कि उक्त भूमि में आवासीय कॉलोनी बसी हुई है व उक्त कॉलोनी में आने–जाने के लिए मौके पर रास्ता प्रचलित था, उक्त रास्ता ले–आउट प्लान में भी दर्शित है जिसकी शिकायत कॉलोनीवासियों के द्वारा किये जाने पर रास्ते को खोलने नहीं दिया और बलपूर्वक रास्ता खोला गया। रेस्पोडेन्टस ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस की भूमि पर कॉलोनी बसे होने तथा उक्त कॉलोनी में से रास्ता कायम होने का कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया और ना ही इस आशय का कोई शपथ पत्र ही किसी कॉलोनीवासी का पेश किया गया। रेस्पोडेन्टस ने अपीलान्टस की भूमि में कॉलोनी होने का जो आधार लिया है वह कतई निराधार है। अपीलान्टस की भूमि काश्त योग्य भूमि है जिसमें अपीलान्टस अपने–अपने हिस्से पर फसल एवं बाडी करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे है और अपनी रिहायशी गुवाडी बना रखी है। उक्त खसरा नम्बर 2276 के ता. 1.70 हैक्टेयर के चारो ओर पक्की दीवार करके झुन्झुनूं–उदयपुरवाटी वाली मुख्य सड़क पर दरवाजा खोल रखा है। विचारण न्यायालय ने इस ओर गौर न कर अपना निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अपीलान्टस की भूमि खसरा नम्बर 2276 के तीन साईड काफी पुरानी आबादी है जिनके आवागमन हेतू पहले से ही रास्ते मौजूद है लेकिन रेस्पोडेन्टस अब अपीलान्टस की कब्जे–काश्त की भूमि में दखलअंदाजी कर नया रास्ता कायम करने को अमादा है। विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

खसरा नम्बर 2276 में न तो कोई आवासीय कॉलोनी है और नाा ही रास्ता है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि का उपयोग–उपभोग तो उसके खातेदार ही कर रहे है तथा मौके पर भी काश्त की जा रही है लेकिन खसरा नम्बर 2276 मुख्य सड़क झुन्झुनूं से उदयपुरवाटी के पश्चिमी दिशा से सटी हुई होने के कारण पूर्व दिशा के निवासी सीधा–सीधा जबरन रास्ता कायम करवाना चाहते है जिसमें सफल नहीं होने पर झुठी शिकायत नगरपालिका को कर दी और नगरपालिका की अध्यक्ष महोदया वोटो के प्रभाव में आकर जबरन अपीलान्टस को इनके कब्जे काश्त की भूमि से दखल करवाने को अमादा है जबकि राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजी साक्ष्य रेस्पोडेन्ट को कतई सपोर्ट नहीं करते है। इसलिए विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.11.2018 विधि विरूद्ध व विरूद्ध पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस ने न तो अपीलान्टस की भूमि को अधिग्रहण करने की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की और ना ही इस प्रकार का कोई आदेश ही पेश किया कि उक्त खसरा नम्बर की भूमि में से रास्ता कायम किया जा सके। इस प्रकार से विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस के आवेदन पत्र को अनदेखा कर अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किये जाने में भारी कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि जबाब अनावेदकगण के अनुसार प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि में आवासीय कॉलोनी बसी हुई है। उक्त कॉलोनी में आने जाने का रास्ता मौके पर मौजूद था, जो नगरपालिका के ले आउट प्लान में भी दर्शित है। जिसमें आवेदकगण ने छड़िया तथा कंटीले तार लगाकर रास्ता बन्द कर दिया। उक्त रास्ते का आवेदगण ने खोलने नहीं दिया। आवेदकगण को बार–बार पाबन्द करने के बावजूद भी रास्ता नहीं खोलने दिया तथा उक्त रास्ते पर लोहे का गेट लगाकर आवागमन को बन्द करने पर आमादा है। सार्वजनिक रास्ते में आवागमन को बाधित करने एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अवरोध लगाकर रास्ते को बन्द करने का आवेदकगण को कोई अधिकार नहीं है। आवेदकगण ने प्रस्तूत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया गया तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में नहीं है। इस प्रकार आवेदकगण को कोई क्षति कारित होने की भी कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दु ही आवेदकगण के पक्ष में नहीं होने के कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से खारिज करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन के स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 2276, 2275 के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2070–73 के अनुसार विवादित भूमि प्रार्थी अपीलांट के पिता नन्दाराम की खातेदारी में दर्ज है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट का आवेदन विचाराधीन निर्णय से इस आधार पर खारिज किया है कि विवादित भूमि पर आवासीय कॉलोनी बसी हुई है। विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं अपील न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य संलग्न नहीं है। इसके विपरित पत्रावली में संलग्न जमाबंदी से विवादित भूमि कृषि भूमि होना एवं प्रार्थी अपीलांट की खातेदारी में दर्ज होना स्पष्ट प्रकट है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रार्थी अपीलांट का आवेदन स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद अप्रार्थीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिक
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

को खसरा नम्बर 2275, 2276 वाके ग्राम उदयपुरवाटी की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 3.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर